तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/06/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। मिसल वास्ते बहस दिनांक 10/07/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/07/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। मिसल वास्ते बहस दिनांक 31/07/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31/7/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। मिसल वास्ते आदेश 7/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
07/8/24	पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि अप्रार्थीगण श्री बद्रीलाल एवं श्रीमती सुगनबाई द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था ए.यू. स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी सम्पत्ति खसरा सं. 769 रकबा 04 बिस्वा में से 111.11 वर्गगज वाके ग्राम छत्रपुरा बूंदी की भूमि रहन रखकर दिनांक 30/9/2020 को 5,00,000/- का ऋण लिया था। किन्तु अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके। इस कारण धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यह प्रार्थनापत्र	

FORM No. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम..

....बनाम...

किस्म मुकदमा.......................................नं. ....सन्.......................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश किया गया है। प्रकरण में रहनशुदा सम्पत्ति का पट्टा संलग्न है विक्रयपत्र दिनांक 6/5/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रहनशुदा सम्पत्ति खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं० 769 रकबा 05 बिस्वा में से क्रय की गई है, अर्थात् उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि है। SRFAESI Act, 2002 के अध्याय-6 प्रकीर्ण धारा 31 (झ) के अनुसार कृषि भूमि में सृजन किया गया कोई प्रतिभूति हित पर यह कार्यवाही प्रभावी नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।	